उत्तर प्रदेश शासन

उद्यान अनुभाग

संख्या-4/432/58-2014-158/2012

लखनऊ दिनांक 24 फरवरी, 2014

दिनांक 24 फरवरी, 2014 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह "क" सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2014 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।

(2) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

(3) मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री जी।

(4) निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।

(5) महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।

(6) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(7) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(8) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, लखनऊ।

(9) समस्त उप निदेशक उद्यान, उत्तर प्रदेश।

(10) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि नियमावली की 200 प्रतियां मुद्रित कराकर शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(11) गोपन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

(12) गार्ड बुक।

<u>संलग्नक: यथोक्त।</u>

(जूथिका पाटणकर)

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

उद्यान अनुभाग

संख्या-4/432/58-2014-158/2012

लखनऊ दिनांक 24 फरवरी, 2014

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह "क" सेवा नियमावली, 1991 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह "क" सेवा

(द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) यह नियमावी उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह "क" सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2014 कही जायेगी। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
परिशिष्ट 'क' का संशोधन	(1)	2- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह 'क' सेवा नियमावली, 1991 में, परिशिष्ट-क (1) मैदानी संवर्ग में, नीचे स्तंभ-1 में क्रमांक-4 पर, अनुभाग 'घ' के उप अनुभाग (3) में दी गई विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर स्तंभ-2 में दी गई प्रविष्टियां स्तंभवार रख दी जायंगी, अर्थात:

स्तंभ-1

विद्यमान प्रविष्टियां

1	2	3	4	5	6	7
4	घ- प्रयोग एवं प्रशिक्षण (3) कीट विज्ञान	कीट विशेषज्ञ	1	-	1	रू0-3000-100-3500-125-4500

स्तंभ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टियां

1	2	3	4	5	6	7
4	घ- प्रयोग एवं प्रशिक्षण: (3) कीट विज्ञान	1. कीट विशेषज्ञ 2. उप निदेशक, पौध रक्षा	01 -	- 01	01 01	रू0- 15600-39100 तथा ग्रेड वेतन 6600 -तदैव-

http://shasanadesh.up.nic.in

		टिप्पणी: स्तंभ 4, 5 और 6 में उल्लिखित पदों की संख्या और स्तंभ 7 में उल्लिखित वेतनमान, उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह 'क' सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2014 के प्रारम्भ के समय पर क्रमश: पदों की संख्या और वेतनमान है।
परिशिष्ट ख-1 का संशोधन		3. उक्त नियमावली में परिशिष्ट ख-1 मैदानी संवर्ग में, अनुभाग-घ में नीचे स्तंभ-1 में दिये गए उप अनुभाग में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर स्तंभ 2 में दी गई प्रविष्टियां स्तंभवार रख दी जायंगी, अर्थात:

स्तंभ-1

विद्यमान प्रविष्टियां

1	2	3	4
घ-प्रयोग एवं प्रशिक्षण अनुभाग 3-कीट विज्ञान उप अनुभाग	1-कीट विशेषज्ञ	कीट विज्ञान उप अनुभाग	1-सहायक कीट विज्ञानी 2-कीट विज्ञानी श्रेणी-2 3-मौन विशेषज्ञ 4-पौध संरक्षण अधिकारी

स्तंभ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टियां

1	2	3	4
(घ)-प्रयोग एवं प्रशिक्षण अनुभाग: 3. कीट विज्ञान उप अनुभाग	1. कीट विशेषज्ञ 2. उप निदेशक, पौध रक्षा	कीट विज्ञान, उप अनुभाग	1. सहायक कीट विज्ञानी, 2. कीट विज्ञानी, श्रेणी-दो 3. मौन विशेषज्ञ 4. पौध रक्षा अधिकारी।

आज्ञा से,

जूथिका पाटणकर

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in